न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर.ए.एस.

सप्लाई विविध प्रकरण संख्या : 112/2025

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
राज्य सरकार जरिये सहायक पुलिस आयुक्त वृत पश्चिम कार्यालय थानाधिकारी पुलिस थाना भगत की कोठी, जोधपुर कमिश्नरेट।		भंवरलाल पुत्र चुतराराम जाति विश्नोई निवासी 9/73 डीडीपी नगर मधुबन हाउसिंग बोर्ड पुलिस थाना भगत की कोठी जोधपुर।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थितिः
1. प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार थानाधिकारी पुलिस थाना भगत की कोठी, जोधपुर उपस्थित।
2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 18.07.2025

प्रार्थी राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (वितरण एवं प्रदाय नियन्त्रण) आदेश 2000 के अन्तर्गत अप्रार्थी भंवरलाल पुत्र चुतराराम जाति विश्नोई निवासी 9/73 डीडीपी नगर मधुबन हाउसिंग बोर्ड पुलिस थाना भगत की कोठी जोधपुर के विरूद्ध यह प्रकरण जब्तसुदा 01 घरेलु गैस सिलेण्डरों तथा 01 इलेक्ट्रोनिक मशीन मय पाईप, विद्युत वायर व बोर्ड को राज्यसात करने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 04.04.2025 को मूखबीर की सूचना पर सहायक पुलिस आयुक्त वृत पश्चिम के निर्देशानुसार थानाधिकारी पुलिस थाना भगत की कोठी द्वारा डीडीपी नगर मधुबन हाउसिंग बोर्ड जोधपुर स्थित पर्यावरण पार्क परिसर की आकस्मिक जांच की गई, मौके पर अप्रार्थी भंवरलाल पुत्र चुतराराम जाति विश्नोई निवासी 9/73 डीडीपी नगर मधुबन हाउसिंग बोर्ड जोधपुर एक घरेलु सिलेण्डर (एच.पी) एंव विद्युत मोटर मय गैस पाईप का उपयोग कर कार आर.जे 14 सीडी 4170 में अवैध गैस रिफलिंग का कार्य करते हुआ पाया गया। पुलिस टीम द्वारा अप्रार्थी एंव वाहन स्वामी को गिरफ्तार करते हुए उक्त एक सिलेण्डर व इलेक्ट्रोनिक मशीन मय गैस पाईप, विद्युत वायर व बोर्ड एंव अवैध गैस रिफलिंग में संलिप्त वाहन को जब्त कर पुलिस थाना भगत की कोठी लाकर सुरक्षित रखा गया तथा अप्रार्थीगणों से थाने ले जाकर पुछताछ कि गई।

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर